न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :– 19.02.2021

मुकदमा नं0 :–08/2021

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

1. विनोद कुमार पुत्र श्री लादूराम
2. आरती पत्नि विनोद कुमार

जाति मेहरा निवासी गांव पाचवां पोस्ट कुचामन सिटी जिला नागौर ?

हाल किशन नगर हिण्डौन जिला करौली

3. धर्मेन्द्र पुत्र हरकेश जाति गुर्जर निवासी बनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली
4. श्रीमती शारदा देवी पत्नि श्री कृष्ण स्वरूप गुप्ता जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन जिला करौली —————— प्रार्थीगण/आवेदकगण

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली लैण्ड होल्डर ——— अप्रार्थी/ विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थितः– श्री रमेश चन्द गुप्ता एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय दिंनाक :–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने आराजी खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 भूमि स्थित ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 02.09.2020 को खरीद कर व विकीत धन राशि विकेतागण को अदा कर उक्त जमीन पर आवेदकगण ने कब्जा कर लिया और आज दिन उक्त जमीन आवेदकगण के कब्जे में चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी विवादग्रस्त Signature Not Verified साबिक मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र किस्म बंजड, स्थित ग्राम ... खसरा नम्बर 1100/2 रकबा 0.80 है0 था Digitally signed by Anoop Singh ...आरेनी का Date: 2022.06.18 12:38:05 IST Reason: SelfAttested ...रण सं0 327 भरा पुरा के अलग अलग रेवन्यू ब्लेज बन जाने से जिसका ...

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जाकर पूर्व के खसरा नम्बर 1100/2 रकबा 0.80 है0 जिसका नवीन खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 बना है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1100/2 रकबा 0.80 है0 बंजड ग्राम जटनंगला पूर्व में दिनांक 05.12.1990 को गुमान पुत्र बिजेन्द्र जाट निवासी जटनंगला को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के तहत आवंटित हुई थी, जिसकी जमाबन्दी गुमान के नाम अंकन गैरखातेदारी के रूप में दर्ज हो गया। उक्त खसरा नम्बर 1100/2 की तरमीम नक्शे में कर दी गयी, उसके उपरान्त आवंटी गुमान का दिनांक 21.10.2015 को स्वर्गवास हो गया, जिनके वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 1050 दिनांक 28.07.2020 को तस्दीक हो गया।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नम्बर 1100 पूर्व में बंजड1 सिवायचक के नाम दर्ज थी, उसमें से विभिन्न लोगों को 80–80 एयर जमीन अलोट की गयी थी और उसके बाद उक्त खसरा नम्बर 1100/1, 1100/2 आदि तरमीम कर दिये गये।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आवेदकगण ने उक्त आराजी खरीदने के पश्चात नक्शा व मौके की स्थिति का मिलान किया तो आवेदकगण को पता चला कि नक्शे में जो तरमीम की गयी है वह रकबा 0.80 है0 ना होकर 0.66 है0 ही रकबा रह गया है, यानि आवेदकगण को नक्शे में तरमीम के हिसाब से 0.14 है0 जमीन कम की तरमीम हुयी है, जबकि आवेदकगण का मौके पर कब्जा योग खरीददारी से 0.80 है0 पर आज दिन तक मौजूद है और आवेदकगण उक्त आराजी की तरमीम को करवाने के पूर्ण अधिकारी है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में उक्त आराजी की तरमीम किये गये क्षेत्रफल को भली भाँति दर्शाया गया है, जिसे साबिक खसरा नम्बर 1100/2 [illegible] गया है, जिसका रकबा मिलान करने पर वह रकबा 0.6[illegible] [illegible] का रकबा जमाबन्दी में 0.80 है0 रिकार्ड में [illegible] आवेदकगण 0.80 है0 पर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sin
Date: 2022.06.18 12:38:05 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 1514/1100 जो आवेदकगण की खातेदारी की जंमीन के बगल में सिवायचक दर्ज है और उक्त खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 1100 से बना है, मौके पर नक्शा ट्रेस में जो तरमीम की गयी है, उसमें आवेदकगण का रकबा 0.14 है0 कम पड रहा है, जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग की लाईन से मार्क ऐ से प्रदर्शित किया गया है, उक्त लाल रंग बाली लाईन से प्रदर्शित मार्क ऐ की भूमि को आवेदकगण की खातेदारी जीम खसरा नम्बर 1503/1100 में जोडा जाना आवश्यक है तथा खसरा नम्बर 1514/1100 में से 14 एयर जमीन कम की जाकर आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 1503/1100 में जोडने से मौके की स्थिति व नक्शा ट्रेस की पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती है और नक्शा ट्रेस में भी आवेदकगण का रकबा 0.80 है0 पूरा हो जाता है तथा नक्शा में तरमीम भी सही हो जावेगी। इस कारण प्रार्थना पत्र हाजा पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार हिण्डौन को मौके पर भेजा जाकर मौके की वास्तविक स्थिति व वस्तुस्थिति मंगवायी जाकर आवेदकगण के हाल खसरा नम्बर 1503/1100 जिसका रकबा 0.80 है0 में से 14 एयर जमीन जो खसरा नम्बर 1514/1100 में से कम की जाकर आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 1100/2 जिसका हाल खसरा नम्बर 1503/1100 में जोडकर नक्शा ट्रेस में तरमीम फरमावें ताकि नक्शा ट्रेस में भी आवेदकगण का रकबा मौके के अनुसार 0.80 है0 तरमीम हो सके।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद सं01 इस हद तक स्वीकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 वर्तमान हाल रिकार्ड जमाबन्दी सं0 [illegible]72–75 प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.18 12:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 इस हद तक स्वीकार है कि मुताविक जॉच रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत हिण्डौन द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व नक्शा ग्राम जटनंगला में खसरा नम्बर 1503/1100 की जो तरमीम की गई है इसकी रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 1503/1100 मूल रकबा 0.80 है0 के बजाय 0.66 है0 की गणना आती है जो 0.14 है0 खातेदारी भूमि के कुल रकबे से कम है। अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से मूल रकबा 0.80 है0 से 0.14 है0 की क्षतिपूर्ति लगेमा खसरा नम्बर 1514/1100 सिवायचक से किया जाना अपेक्षित है। अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है।

विविध तथ्य – में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्रार्थीगण द्वारा राजस्व ग्राम जटनंगला स्थित खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 जो कि प्रार्थीगण स्वंय की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। मुताविक भू.अ. निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व नक्शा सीट में खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 की रकबा बरारी करने पर 0.66 है0 की गणना तरमीमी नक्शा सीट में आती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में 0.14 है0 की क्षति फलित होती है। प्रार्थीगण को क्षति रकबा पूर्ति लगेमा खसरा नम्बर 1514/1100 सिवायचक से [illegible] प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.18 12:38:05
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नक्शा [illegible] हाल नम्बरान किता–2, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र गुमानसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह निवासी जटनंगला तहसील हिण्डौन मृत्यु दिनांक 21.10.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

2015, फोटो प्रति जमाबन्दी सं0 2072–75, नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, पेश किये हैं।

अप्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा ट्रेस तरमीमी नजरी किता 2, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 पेश की है।

वकील प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 में वर्णित तथ्यों को दौराहराया है एवं उक्त दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

वकील प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र गुमानसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह निवासी जटनंगला तहसील हिण्डौन मृत्यु दिनांक 21.10.2015 के अनुसार गुमानसिंह की मृत्यु होना साबित है।

फोटो प्रति नकल चालू जमाबन्दी दिनांक 19.06.2016 को जारी की गई वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 के खातेदारी के कॉलम में गुमान पुत्र बिजेन्द्र जाट गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 20[illegible] आराजी [illegible]रा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 वाके ग्रा[illegible] जटनंगला तहसील [illegible] खातेदारी नाबालिग ऋतु पुत्री गुमानसिंह संरक्षक माता गुड्डी हि01/7, गुड्डीदेवी पत्नि स्व0 गुमानसिंह हि01/7, नाबालिग निशा पुत्री गुमानसिंह संरक्षक माता गुड्डी हि01/7, नाबालिग पायल पुत्री गुमानसिंह संरक्षक माता गुड्डी हि01/7, भूपेन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह हि01/7, नाबालिग मुस्कान पुत्री गुमानसिंह संरक्षक माता गुड्डी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.18 12:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हि01/7, रविकेश पुत्री गुमानसिंह हि01/7 जातियान जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन की खातेदारी आरती पत्नि विनोद कुमार हि01/4 जाति मेहरा निवासी पांचवां पोस्ट कुचामन तहसील नांवा जिला नागौर खातेदार, धर्मेन्द्र पुत्र हरकेश हि01/4 जाति गुर्जर निवासी बनकी खातेदार, विनोद कुमार पुत्र लादूराम हि01/4 जाति मेहरा निवासी पांचवां पोस्ट कुचामन तहसील नांवा जिला नागौर खातेदार, शारदा देवी पत्नि कृष्ण स्वरूप गुप्ता हि01/4 जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

भू–अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं की मौका व रिकार्ड अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

1. आराजी खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 स्थित ग्राम जटनंगला प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है।

2. यह कि, विवादग्रस्त मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र किस्म बंजड स्थित ग्राम जटनंगला जिसका साबिक खसरा नम्बर 1100/2 रकबा 0.80 है0 था जो ग्राम जटनंगला के ग्राम आरेनी का पुरा के अलग अलग रेवन्यू ग्राम बन जाने से नामान्तकरण संख्या 327 भरा जाकर मूर्व के खसरा नम्बर 1100/2 रकबा 0.80 है0 [illegible] 0.80 है0 से नवीन खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा [illegible] है। वर्तमान में आरती पत्नि विनोद कुमार हि01/4, ध[illegible] पुत्र [illegible]केश हि01/4 जाति गुर्जर निवासी बनकी, विनोद कुमार पुत्र लादूराम [illegible] हि01/4, शारदादेवी पत्नि कृष्ण स्वरूप गुप्ता हि01/4 जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

3. प्रार्थना पत्र की बिन्दू सं03 कानूनी व मुताविक रिकार्ड सही है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sin
Date: 2022.06.18 12:38:05 IS
Reason: SelfAttested

4. यह कि, प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं0 4 में अंकित प्रार्थीगण का कथन सही है। साबिक खसरा नम्बर 1100/2 रकबा 0.80 है0 आवंटन किया गया था।

5. यह कि, साबिक खसरा नम्बर 1100/2 हाल खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 तथा प्रार्थीयान का कहना है कि आवंटन वक्त तरमीम की गयी है वह 0.80 है0 की न होकर 0.66 है0 की ही है जबकि आवेदक द्वारा 0.80 है0 भूमि खरीदी गयी है। प्रार्थीयान का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि नक्शे में जो तरमीम की गयी है उसकी रकबा बरारी करने पर 0.66 है0 रकबा बैठता है। जबकि मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी प्रार्थीगण का रकबा 0.80 है0 दर्ज है, जो सही है।

6. यह कि, प्रार्थीयान का कहना है कि खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1100/2 व हाल खसरा नम्बर 1503/1100 की बगल में 1514/1100 सिवायचक भूमि लगी हुई है। उसमें से 0.14 है0 कमी भूमि की पूर्ति करने का अनुरोध किया गया है वह सही है, जबकि जमाबन्दी में प्रार्थीगण का रकबा 0.80 है0 सही दर्ज है। सिर्फ तरमीम में 0.14 है0 रकबा कम दर्शाया गया है। उसकी क्षतिपूर्ति सिवायचक खसरा नम्बर 1514/1100 में से जो हाल खसरा नम्बर 1503/11 से सटा हुआ है में जोडकर कमी तरमीम रकबा की क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भावित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 ग्राम जटनगंला गुमान पुत्र बिजेन्द्र जाट गैरखातेदार था, गुमानसिंह की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान नाबालिग ऋतु पुत्री गुमानसिंह संरक्षक माता गुड्डी हि01/7, गुड्डीदेवी पत्नि स्व0 गुमानसिंह हि01/7, नाबालिग [illegible] पुत्री गुमानसिंह संरक्षक माता गुड्डी हि01/7, नाबालिग पायल पुत्री गुमानसिंह संरक्षक माता गुड्डी हि01/7, भूपेन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह हि01/7, नाबालिग मुस्कान पुत्री गुमानसिंह संरक्षक माता गुड्डी हि01/7, रविकेश पुत्री गुमानसिंह हि0[illegible] जातियान जाट सा0देह खातेदार के नाम भरा जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल हो चुका है तथा वर्तमान में उक्त आराजी की खातेदारी आरती पत्नि विनोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.18 12:38:0
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कुमार हि01/4 जाति मेहरा निवासी पांचवां पोस्ट कुचामन तहसील नांवा जिला
नागौर खातेदार, धर्मेन्द्र पुत्र हरकेश हि01/4 जाति गुर्जर निवासी बनकी खातेदार,
विनोद कुमार पुत्र लादूराम हि01/4 जाति मेहरा निवासी पांचवां पोस्ट कुचामन
तहसील नांवा जिला नागौर खातेदार, शारदा देवी पत्नि कृष्ण स्वरूप गुप्ता हि01/4
जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है अर्थात
प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार हैं। तहसीलदार
हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से
मूल रकबा 0.80 है0 से 0.14 है0 की क्षतिपूर्ति लगेमा खसरा नम्बर 1514/1100
सिवायचक से किया जाना अपेक्षित है। अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्रार्थीगण द्वारा राजस्व ग्राम जटनंगला स्थित
खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 जो कि प्रार्थीगण स्वंय की खातेदारी एवं
कब्जा काश्त की भूमि है। मुताविक भू.अ. निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट
अनुसार राजस्व नक्शा सीट में खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है0 की
रकबा बरारी करने पर 0.66 है0 की गणना तरमीमी नक्शा सीट में आती है। इस
प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में 0.14 है0 की क्षति फलित होती है। प्रार्थीगण
को क्षति रकबा पूर्ति लगेमा खसरा नम्बर 1514/1100 सिवायचक से किया जाना
उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है। इस प्रकार तहसीलदार हिण्डौन ने उक्त
इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने में पूर्ण सहमति व्यक्त की है अर्थात तहसीलदार हिण्डौन
उक्त इन्द्राज दुरूस्त किये जाने में पूर्ण रूपेण सहमत हैं एवं भू–अभिलेख निरीक्षक
वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर
1503/1100 रकबा 0.80 है0 स्थित ग्राम जटनंगला प्रार्थी[illegible] खातेदारी
में दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। साबिक खसर[illegible]
1100/2 हाल खसरा नम्बर 1503/1100 रकबा 0.80 है[illegible]
है कि आवंटन वक्त तरमीम की गयी है वह 0.80 है0 की [illegible]
है जबकि आवेदक द्वारा 0.80 है0 भूमि खरीदी गयी है। प्रार्थीयान का कथन स[illegible]
प्रतीत होता है क्योंकि नक्शे में जो तरमीम की गयी है उसकी रकबा बरारी करने
पर 0.66 है0 रकबा बैठता है। जबकि मुताविक रिकार्ड जमाबन्दी प्रार्थीगण का रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.18 12:38:05
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.80 है0 दर्ज है, जो सही है। भूमि साबिक खसरा नम्बर 1100/2 व हाल खसरा नम्बर 1503/1100 की बगल में 1514/1100 सिवायचक भूमि लगी हुई है। उसमें से 0.14 है0 कमी भूमि की पूर्ति करने का अनुरोध किया गया है वह सही है, जबकि जमाबन्दी में प्रार्थीगण का रकबा 0.80 है0 सही दर्ज है। सिर्फ तरमीम में 0.14 है0 रकबा कम दर्शाया गया है। उसकी क्षतिपूर्ति सिवायचक खसरा नम्बर 1514/1100 में से जो हाल खसरा नम्बर 1503/11 से सटा हुआ है में जोडकर कमी तरमीम रकबा की क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भावित है। वर्तमान राजस्व ट्रेस में हाल खसरा नम्बर 1503/1100 का रकबा बराबरी करने पर रकबा 0.80 है0 के स्थान पर रकबा 0.66 है0 ही बैठता है। प्रार्थीगण अपने कमी रकबा की राजस्व सीट में कमी पूर्ती कराने के हकदार हैं। ऐसे हालात में प्रार्थीगण विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1514/1100 में से रकबा 0.14 है0 की मुताविक जबाव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये गये क्षेत्रफल की राजस्व सीट में खसरा नम्बर 1503/1100 का ही भाग मानते हुए तरमीम कराने के अधिकारी साबित हैं। उक्त इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने में तहसीलदार हिण्डौन ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है बल्कि भू– अभिलेख निरीक्षक वृत हिण्डौन की मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार हिण्डौन के जबाव प्रार्थना पत्र से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में उनकी सहमति स्पष्ट रूप से साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1514/1100 की राजस्व सीट में से रकबा 0.14 है0 क्षेत्रफल की कमी करते हुए राजस्व सीट में खसरा नम्बर 1503/1100 का ही भाग मानते हुए तरमीम करने के आदेश दिये जाते हैं अर्थात खसरा नम्बर 1503/1100 का [illegible] राजस्व रिकार्ड में 0.80 है0 ही रहेगा, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण का दर्ज रकबा 0.[illegible] मुताविक राजस्व सीट में तरमीम की जावे। शेष इन्द्राजात [illegible] राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:38:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक ...14-3-2022...... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:38:05 IST
Reason: SelfAttested